"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 261]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 3 जून 2020 — ज्येष्ठ 13, श्रक 1942

उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 30 मई 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ, 3-6/2017/38-2. — छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, रायपुर के पत्र क्रमांक 836 / पी.यू. / एस.एण्ड.ओ. / 2017 / 11580, दिनांक 23—01—2020 द्वारा आई.एस.बी.एम. विश्वविद्यालय, ग्राम—नवापारा, (कोसमी), ब्लॉक एवं तहसील—छुरा, जिला—गरियाबंद के अनुगामी अध्यादेश क्रमांक 59 से 63 तक का अनुमोदन छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 29 (2) के तहत् किया गया है।

- राज्य शासन, एतद्द्वारा, उपरोक्त अध्यादेशों को राजपत्र में अधिसूचित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- 3. उपरोक्त अध्यादेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अलरमेलमंगई डी., सचिव.

आई.एस.बी.एम. विश्वविद्यालय का अनुगामी अध्यादेश

कं.	संख्या / सारांश	मौजूदा प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन	संशोधन का कारण	
1	अध्यादेश – 59	कोई प्रावधान नहीं	डिप्लोमा इन फार्मेसी (डी. फार्म.)	नया पाठ्यक्रम जोड़ा जाना है।	
2	अध्यादेश — 60	कोई प्रावधान नहीं	बैचलर ऑफ फार्मेसी (बी. फार्म.)	नया पाठ्यक्रम जोड़ा ज़ाना है।	
3	अध्यादेश – 61	कोई प्रावधान नहीं	मास्टर ऑफ फार्मेसी (एम. फार्म.)	नया पाठ्यक्रम जोड़ा जाना है।	
4	अध्यादेश – 62	कोई प्रावधान नहीं	बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग (बी.एस.सी. नर्सिंग)	नया पाठ्यकम जोड़ा जाना है।	
5	अध्यादेश – 63	कोई प्रावधान नहीं	बैचलर इन हॉटल मैनेजमेंट एण्ड कैटरिंग टेक्नोलॉजी (बी.एच.एम.सी.टी.)	नया पाठ्यक्रम जोड़ा जाना है।	

अध्यादेश-59 डिप्लोमा इन फॉर्मेसी (डी.फार्म)

59.1	प्रस्तावनाः	यह अध्यादेश आई.एस.बी.एम. विश्वविद्यालय के डिप्लोमा इन फार्मेसी (डी.फार्म.) के अध्यादेश के रूप में जाना जाएगा जिसका संक्षिप्त नाम डी. फार्म. होगा।
59.2	शीर्षक:	डिप्लोमा इन फॉर्मेसी (डी.फार्म.)।
59.3	संकायः	पैरामेडिकल संकाय।
59.4	अवधिः	डी.फार्म. की अवधि दो वर्ष (चार सेमेस्टर) + तीन माह प्रायोगिक
	4	प्रशिक्षण (न्यूनतम 500 घण्टे) होगी। उपाधि प्राप्त करने की अधिकतम अवधि चार वर्ष होगी।
59.5	पात्रताः	छत्तीसगढ़ उच्चतर माध्यमिक शिक्षा मंडल या अन्य किसी
		उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के मान्यता प्राप्त बोर्ड से अंग्रेजी एक
		विषय के साथ भौतिकी, रसायन, गणित (पी.सी.एम.) और/या
		जीवविज्ञान (पी.सी.एम.बी.) अतिरिक्त विषय के साथ 10+2

उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। सीट: 59.6

बुनियादी इकाई फार्मेसी काऊंसिल ऑफ इंडिया (PCI) से अनुमति अनुसार इकाई 60 सीट की होगी। इकाई की एकाधिक इकाई भी, PCI के अनुमोदन के पश्चात् आई.एस.बी. एम.विश्वविद्यालय के प्रबंध मण्डल द्वारा स्थापित की जा

सकगी।

अध्यादेश क्र. 1 में दिये विवरण अनुसार प्रवेश 10+2 परीक्षा की प्रवेश प्रकियाः प्रावीण्यता / आई.एस.बी.एम. वि.वि. के द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के अंको के आधार पर दिया जावेगा। प्रवेश हेतु छ.ग. शासन की आरक्षण नीति का पालन किया जावेगा तथा छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के प्रवेश मार्गदर्शिका के प्रावधानों

का पालन किया जाएगा।

एक शैक्षणिक सत्र सामान्यतः जुलाई से जून तक प्रत्येक वर्ष होगा। प्रथम शैक्षणिक चक्र जुलाई से दिसम्बर एवं द्वितीय

शैक्षणिक चक्र जनवरी से जून होगा।

विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ के पूर्व, समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय की नोटिस बोर्ड पर, विश्वविद्यालय के वेबसाईड तथा अन्य प्रचार माध्यम में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। चयनित अभ्यर्थी की सूची, वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी अथवा विद्यार्थियों को उनके प्रवेश के बारे में सीधे सूचित किया जायेगा। ऐसी सूची विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित की जावेगी। अभ्यर्थी जिसका परीक्षा परिणाम प्रतीक्षाधीन है भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेगें। तथापि ऐसे अभ्यार्थी को अपेक्षित पात्रता के लिये प्रमाण के रूप में मार्कशीट या डिग्री प्रमाणपत्र, अंतिम तारीख (कट ऑफ डेट) के

पूर्व प्रमाण के साथ में अनिवार्यतः प्रस्तुत करना

59.7

शैक्षणिक वर्षः 59.8

59.9 चयन प्रक्रियाः होगा, ऐसा करने में असफल होने पर, दिया गया अनंतिम प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा ।

प्रवेश निम्नलिखित में से किन्हीं भी कारणों से निरस्त किया जा सकता है:

1. आवेदन पत्र किसी भी प्रकार से अपूर्ण है।

- 2. देय तिथि पर पाठ्यक्रम फीस का भुगतान नहीं किया गया हो।
- 3. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो।
- 4. आवेदन पत्र में गलत जानकारी दी गई हो। सभी आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन एवं फीस के प्रस्तुतीकरण के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।

आई.एस.बी.एम. विश्वविद्यालयं के प्रबंध मण्डल द्वारा शुल्क निर्धारित की जायेगी एवं छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग रायपुर, द्वारा अनुमोदन के अधीन समय—समय पर यथा विनिश्चित की जावेगी।

जब तक अन्य प्रावधान न हो विश्वविद्यालय के परीक्षा अध्यादेश कमांक 2 के अनुसार ।

पाठ्यकम संरचना आई.एस.बी.एम. विश्वविद्यालय अध्ययन मंडल द्वारा निर्मित एवं अकादिमक परिषद् द्वारा अनुमोदित होगी। आई.एस.बी.एम. वि.वि. के विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति, परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होंगे।

किसी विवाद की दशा में मामलो का विनिश्चय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन होगा ।

59.10 शुल्क :

59.11 परीक्षा योजना :

59.12 पाठ्यकम संरचना :

59.13 सामान्य :

अध्यादेश— 60 बैचलर ऑफ फार्मेसी (बी.फार्म.)

60.1 प्रस्तावना:

यह अध्यादेश आई.एस.बी.एम. विश्वविद्यालय के बैचलर ऑफ फार्मेसी के अध्यादेश के रूप में जाना जाएगा जिसका संक्षिप्त

नाम बी.फार्म. होगा।

60.2 शीर्षक: बैचलर ऑफ फार्मेसी (बी.फार्म.)

60.3 संकाय: पैरा मेडिकल संकाय

60.4 अविध : बी.फार्म. की अविध चार वर्ष (आठ सेमेस्टर) होगी। उपाधि प्राप्त

करने की अधिकतम अवधि आठ वर्ष होगी।

60.5 पात्रता :

1. छत्तीसगढ़ उच्चतर माध्यमिक शिक्षा मंडल या अन्य किसी उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के मान्यता प्राप्त बोर्ड से अंग्रेजी एक विषय के साथ भौतिकी, रसायन, गणित और/या जीवविज्ञान विषय के साथ 10+2 उत्तीर्ण अनिवार्य है।

2. पार्श्व प्रवेश — फार्मेसी काऊंसिल ऑफ इंडिया के फार्मेसी एक्ट की धारा 12 के अंतर्गत अनुमोदित संस्थान से डी.फार्म उत्तीर्ण को बी.फार्म. के द्वितीय वर्ष या तृतीय सेमेस्टर में

पार्श्व प्रवेश की पात्रता होगी।

60.6 सीटें :

60.7

बुनियादी इकाई फार्मेसी काऊंसिल ऑफ इंडिया (PCI) से अनुमति अनुसार इकाई 60 सीट की होगी। इकाई के एकाधिक इकाई भी, PCI के अनुमोदन के पश्चात् आई.एस.बी.एम.

विश्वविद्यालय के प्रबंध मण्डल द्वारा स्थापित की जा सकेगी।

अध्यादेश क्र. 1 में दिये विवरण अनुसार प्रवेश 10+2 परीक्षा की प्रावीण्यता / आई.एस.बी.एम. वि.वि. के द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के अंको के आधार पर दिया जावेगा। प्रवेश हेतु छ.ग.

शासन की आरक्षण नीति का पालन किया जावेगा तथा छ.ग.

पालन किया जाएगा।

60.8 शैक्षणिक वर्ष :

प्रवेश प्रकिया:

शैक्षणिक सत्र सामान्यतः जुलाई से जून तक प्रत्येक वर्ष होगा। प्रथम शैक्षणिक चक्र जुलाई से दिसम्बर एवं द्वितीय शैक्षणिक

चक्र जनवरी से जून होगा।

60.9 चयन प्रकिया:

विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ के पूर्व, समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय की नोटिस बोर्ड पर, विश्वविद्यालय के वेबसाईड तथा अन्य प्रचार माध्यम में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। चयनित अभ्यर्थी की सूची, वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी अथवा विद्यार्थियों को उनके प्रवेश के बारे में सीधे सूचित किया जायेगा। ऐसी सूची विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित की जावेगी। अभ्यर्थी जिसका परीक्षा परिणाम प्रतीक्षाधीन है, भी प्रवेश हेत आवेदन कर सकेगें।

तथापि ऐसे अभ्यार्थी को अपेक्षित पात्रता के लिये प्रमाण के रूप में मार्कशीट या डिग्री प्रमाणपत्र, अंतिम तारीख (कट ऑफ डेट) के पूर्व प्रमाण के रूप में अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा, ऐसा करने में असफल होने पर, दिया गया अनंतिम प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा।

प्रवेश निम्नलिखित में से किन्हीं भी कारणों से निरस्त किया जा सकता है:

- 1. आवेदन पत्र किसी भी प्रकार से अपूर्ण है।
- 2. देय तिथि पर पाठ्यक्रम फीस का भुगतान नहीं किया गया
- 3. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किये
- 4. आवेदन पत्र में गलत जानकारी दी गई हो। सभी आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन एवं फीस के प्रस्तुतीकरण के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।

आई.एस.बी.एम. विश्वविद्यालय के प्रबंध मण्डल द्वारा शुल्क निर्धारित की जायेगी एवं छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग रायपुर, द्वारा अनुमोदन के अधीन जब तक अन्य प्रावधान न हो समय-समय पर यथा विनिष्टिचत की जावेगी।

जब तक अन्य प्रावधान न हो विश्वविद्यालय के परीक्षा अध्यादेश कमांक 2 के अनुसार ।

पाठ्यकम संरचना आई.एस.बी.एम. विश्वविद्यालय अध्ययन मंडल द्वारा निर्मित एवं अकादिमक परिषद् द्वारा अनुमोदित होगी।

आई.एस.बी.एम. वि.वि. के विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति, परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होंगे।

किसी विवाद की दशा में मामलो का विनिश्चय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन होगा ।

60.10 शुल्क :

60.11 परीक्षा योजना :

60.12 पाठ्यकम संरचनाः

60.13 सामान्य :

अध्यादेश — 61 मास्टर ऑफ फार्मेसी (एम.फार्म.)

	मास्टर आफ फामसा (एम.फाम.)
प्रस्तावना :	यह अध्यादेश आई.एस.बी.एम. विश्वविद्यालय के मास्टर ऑफ फार्मेसी के अध्यादेश के रूप में जाना जाएगा जिसका संक्षिप्त नाम एम.फार्म. होगा।
शीर्षक:	मास्टर ऑफ फार्मेसी (एम.फार्म.)
संकाय :	पैरामेडिकल संकाय।
अवधि :	एम.फार्म. की अवधि दो वर्ष (चार सेमेस्टर) होगी। उपाधि प्राप्त करने की अधिकतम अवधि, चार वर्ष होगी।
पात्रता :	1. फार्मेसी काऊंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त संस्था / विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक के साथ बी. फार्म. उत्तीर्ण। 2. पी.सी.आई. में पंजीयन होना चाहिए या प्रवेश के एक माह के भीतर राज्य फार्मेसी काऊंसिल या समकक्ष निकाय में पंजीयन होना चाहिए। अन्यथा प्रवेश निरस्त किया जायेगा। (पी.सी.आई. मानदण्डानुसार)
साट :	बुनियादी इकाई फार्मेसी काऊंसिल ऑफ इंडिया (PCI) से अनुमित अनुसार 60 सीट की होगी। इकाई के एकाधिक इकाई भी, PCI के अनुमोदन के पश्चात् आई.एस.बी.एम. विश्वविद्यालय के प्रबंध मण्डल द्वारा स्थापित की जा सकेगी।
प्रवेश प्रकिया :	अध्यादेश क्र. 1 में दिये विवरण अनुसार प्रवेश 10+2 परीक्षा की प्रावीण्यता/आई.एस.बी.एम. वि.वि. के द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के अंको के आधार पर दिया जावेगा। प्रवेश हेतु छ.ग. शासन की आरक्षण नीति का पालन किया जावेगा तथा छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के प्रवेश मार्गदर्शिका के प्रावधानो का पालन किया जाएगा।
शैक्षणिक वर्ष :	एक शैक्षणिक सत्र सामान्यतः जुलाई से जून तक प्रत्येक वर्ष होगा। प्रथम शैक्षणिक चक्र जुलाई से दिसम्बर एवं द्वितीय शैक्षणिक चक्र जनवरी से जून होगा।
चयन प्रकिया :	विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ के पूर्व, समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय की नोटिस बोर्ड पर, विश्वविद्यालय के वेबसाईड तथा अन्य प्रचार माध्यम में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। चयनित अभ्यार्थी की सूची, वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी अथवा विद्यार्थियों को उनके प्रवेश के बारे में सीधे सूचित किया जायेगा। ऐसी सूची विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित की
	संकाय : अवधि :

जावेगी। अभ्यर्थी जिसका परीक्षा परिणाम प्रतीक्षांधीन है, भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेगें। तथापि ऐसे अभ्यार्थी को अपेक्षित पात्रता के लिये प्रमाण के रूप में मार्कशीट या डिग्री प्रमाणपत्र, अंतिम तारीख (कट ऑफ डेट) के पूर्व प्रमाण के रूप में अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा, ऐसा करने में असफल होने पर, दिया गया अनंतिम प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा।

प्रवेश निम्नलिखित में से किन्हीं भी कारणों से निरस्त किया जा सकता है:

- 2. आवेदन पत्र किसी भी प्रकार से अपूर्ण है।
- 2. देय तिथि पर पाठ्यक्रम फीस का भुगतान नहीं किया गया है।
- 3. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किये गये हो।
- 4. आवेदन पत्र में गलत जानकारी दी गई हो। सभी आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन एवं फीस के प्रस्तुतीकरण के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।

आई.एस.बी.एम. विश्वविद्यालय के प्रबंध मण्डल द्वारा शुल्क निर्धारित की जायेगी एवं छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग रायपुर, द्वारा अनुमोदन के अधीन समय—समय पर यथा विनिश्चित की जावेगी।

जब तक अन्य प्रावधान न हो विश्वविद्यालय के परीक्षा अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार ।

पाठ्यकम संरचना आई.एस.बी.एम. विश्वविद्यालय अध्ययन मंडल द्वारा निर्मित एवं अकादिमक परिषद् द्वारा अनुमोदित होगी।

आई.एस.बी.एम. वि.वि. के विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति, परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होंगे।

किसी विवाद की दशा में मामलो का विनिश्चय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन होगा

61.10 शुल्क :

61.11 परीक्षा योजना :

61.12 पाठ्यकम संरचना

61.13 सामान्य :

अध्यादेश - 62 बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग (बी.एस.सी. नर्सिंग)

यह अध्यादेश आई.एस.बी.एम. विश्वविद्यालय के बैचलर ऑफ 62.1 प्रस्तावना: साइंस इन नर्सिंग के अध्यादेश के रूप में जाना जाएगा जिसका

संक्षिप्त नाम बी.एस.सी. नर्सिंग होगा।

62.2 शीर्षक : बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग (बी.एस.सी. नर्सिंग)

62.3 संकाय: नर्सिंग संकाय।

अवधि : बी.एस.सी. नर्सिंग की अवधि चार वर्ष (आठ सेमेस्टर) होगी। 62.4

उपाधि प्राप्त करने की अधिकतम अवधि, आंठ वर्ष होगी।

1. प्रवेश हेत् प्रवेशित वर्ष के 31 दिसम्बर की स्थिति में न्यूनतम 62.5 पात्रता : आयु 17 वर्ष पूर्ण किया हुआ होना चाहिए। (इंडियन नर्सिंग काउसिंल के मानदण्डानुसार)

2. न्यूनतम योग्यता :- किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल / ए. आई.एस.एस.सी.ई. / सी.बी.एस.ई. / आई.सी.एस.ई. / एस.एस. सी.ई. / एच.एस.सी.ई. या अन्य समकक्ष बोर्ड से विज्ञान (भौतिक,रसायन और जीवविज्ञान) और मुख्य / चयनित विषय के साथ 10+2 परीक्षा में 45 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए।

3. विद्यार्थी चिकित्सा की दृष्टि से स्वस्थ होगा ।

4. छात्र राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयीन शिक्षा संस्थान के द्वारा आयोजित 10+2 परीक्षा में विज्ञान समूह के साथ (PCB) न्यूनतम 45% अंक के साथ उत्तीर्ण होकर प्रवेश ले रहा हो।

ब्नियादी इकाई इंडियन नर्सिंग काऊंसिल की अनुमति अनुसार 60 सीट की होगी। इकाई के एकाधिक इकाई भी, नियामक संस्था के अनुमोदन के पश्चात् आई.एस.बी.एम. विश्वविद्यालय के

प्रबंध मण्डल द्वारा स्थापित की जा सकेगी।

अध्यादेश क्र. 1 में दिये विवरण अनुसार। प्रवेश 10+2 परीक्षा की प्रावीण्यता के आधार पर/आई.एस.बी.एम. वि.वि. के द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के अंको के आधार पर दिया जावेगा। प्रवेश हेतु छ.ग. शासन की आरक्षण नीति का पालन किया जावेगा तथा छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के प्रवेश

मार्गदर्शिका के प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

शैक्षणिक सत्र सामान्यतः जुलाई से जून तक प्रत्येक वर्ष होगा। प्रथम शैक्षणिक चक्र जुलाई से दिसम्बर एवं द्वितीय शैक्षणिक

चक्र जनवरी से जून होगा।

विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक सन्न के प्रारंभ के पूर्व, समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर, विश्वविद्यालय के वेबसाईड तथा अन्य प्रचार माध्यम में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। चयनित अभ्यार्थी की सूची, वेबसाइट पर प्रदर्शित की

सीट: 62.6

प्रवेश प्रकिया: 62.7

शैक्षणिक वर्ष: 62.8

62.9 चयन प्रकिया: जायेगी अथवा विद्यार्थियों को उनके प्रवेश के बारे में सीधे सूचित किया जायेगा। ऐसी सूची विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित की जावेगी। अभ्यर्थी जिसका परीक्षा परिणाम प्रतीक्षाधीन है, भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेगें। तथापि ऐसे अभ्यार्थी को अपेक्षित पात्रता के लिये प्रमाण के रूप में मार्कशीट या डिग्री प्रमाणपत्र, अंतिम तारीख (कट ऑफ डेट) के पूर्व प्रमाण के रूप में अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा, ऐसा करने में असफल होने पर, दिया गया अनंतिम प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा।

प्रवेश निम्नलिखित में से किन्हीं भी कारणों से निरस्त किया जा सकता है:

1. आवेदन पत्र किसी भी प्रकार से अपूर्ण है।

- 2. देय तिथि पर पाठ्यक्रम फीस का भुगतान नहीं किया गया है।
- 3. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किये गये हो।
- 4. आवेदन पत्र में गलत जानकारी दी गई हो। सभी आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन एवं फीस के प्रस्तुतीकरण के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।

आई.एस.बी.एम. विश्वविद्यालय के प्रबंध मण्डल द्वारा शुल्क निर्धारित की जायेगी एवं छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग रायपुर, द्वारा अनुमोदन के अधीन समय—समय पर यथा विनिश्चित की जावेगी।

जब तक अन्य प्रावधान न हो विश्वविद्यालय के परीक्षा अध्यादेश कमांक 2 के अनुसार ।

पाठ्यकम संरचना आई.एस.बी.एम. विश्वविद्यालय अध्ययन मंडल द्वारा निर्मित एवं अकादमिक परिषद् द्वारा अनुमोदित होगी।

आई.एस.बी.एम. वि.वि. के विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति, परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होंगे।

किसी विवाद की दशा में मामलो का विनिश्चय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन होगा ।

62.10 शुल्क :

62.11 परीक्षा योजना :

62.12 पाठ्यकम संरचनाः

62.13 सामान्य :

अध्यादेश-63

बैचलर ऑफ हॉटल मैनेजमेंट एण्ड कैटरिंग टेक्नोलॉजी (बी.एच.एम.सी.टी.)

यह अध्यादेश आई.एस.बी.एम. विश्वविद्यालय के बैचलर ऑफ हॉटल मैनेजमेंट एण्ड कैटरिंग टेक्नोलॉजी के अध्यादेश के रूप में जाना जाएगा जिसका संक्षिप्त नाम बी.एच.एम.सी.टी. होगा। बैचलर ऑफ हॉटल मैनेजमेंट एण्ड कैटरिंग टेक्नोलॉजी (बी. एच एम सी.टी.)। शीर्षक: 63.2 हॉटल मैनेजमेंट एण्ड हॉस्पीटेलिटी संकाय। संकायः 63.3 बी.एच.एम.सी.टी. की अवधि चार वर्ष (आठ सेमेस्टर) होगी। अवधिः 63.4 उपाधि प्राप्त करने की अधिकतम अवधि आठ वर्ष की होगी। छत्तीसगढ उच्चतर माध्यमिक शिक्षा मंडल या अन्य किसी 63.5 पात्रताः उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के मान्यता प्राप्त बोर्ड से, किसी भी संकाय में 10+2 अनिवार्यतः उत्तीर्ण होना चाहिए। बुनियादी इकाई 60 सीट की होगी। इकाई के एकाधिक इकाई 63.6 सीटः भी, नियामक संस्था के अनुमोदन के पश्चात् आई.एस.बी.एम. विश्वविद्यालय प्रबंध मण्डल द्वारा स्थापित की जा सकेगी। अध्यादेश क्र. 1 में दिये विवरण अनुसार। प्रवेश 10+2 परीक्षा प्रवेश प्रकियाः 63.7 की प्रावीण्यता के आधार पर/आई.एस.बी.एम. वि.वि. के द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के अंको के आधार पर दिया जावेगा। प्रवेश हेतु छ.ग. शासन की आरक्षण नीति का पालन किया जावेगा तथा छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के प्रवेश मार्गदर्शिका के प्रावधानों का पालन किया जाएगा। एक शैक्षणिक सत्र सामान्यतः जुलाई से जून तक प्रत्येक वर्ष शैक्षणिक वर्षः 63.8 होगा। प्रथम शैक्षणिक चक्र जुलाई से दिसम्बर एवं द्वितीय शैक्षणिक चक्र जनवरी से जून होगा। विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ के पूर्व, समाचार चयन प्रक्रियाः 63.9 पत्रों में, विश्वविद्यालय की नोटिस बोर्ड पर, विश्वविद्यालय के वेबसाईड तथा अन्य प्रचार माध्यम में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। चयनित अभ्यार्थी की सूची, वेबसाइट पर प्रदर्शित की

रदद कर दिया जायेगा।

जायेगी अथवा विद्यार्थियों को उनके प्रवेश के बारे में सीधे सूचित किया जायेगा। ऐसी सूची विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित की जावेगी। अभ्यर्थी जिसका परीक्षा परिणाम प्रतीक्षाधीन है, भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेगें। तथापि ऐसे अभ्यार्थी को अपेक्षित पात्रता के लिये प्रमाण के रूप में मार्कशीट या डिग्री प्रमाणपत्र, अंतिम तारीख (कट ऑफ डेट) के पूर्व प्रमाण के रूप में अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा, ऐसा करने में असफल होने पर, दिया गया अनंतिम प्रवेश

प्रवेश निम्नलिखित में से किन्हीं भी कारणों से निरस्त किया जा सकता है:

1. आवेदन पत्र किसी भी प्रकार से अपूर्ण है।

- 2. देयं तिथि पर पाठ्यक्रम फीस का भुगतान नहीं किया गया है।
- 3. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किये गये हो।
- 4. आवेदन पत्र में गलत जानकारी दी गई हो। सभी आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन एवं फीस के प्रस्तुतीकरण के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।

63.10 शुल्क :

आई.एस.बी.एम. विश्वविद्यालय के प्रबंध मण्डल द्वारा शुल्क निर्धारित की जायेगी एवं छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग रायपुर, द्वारा अनुमोदन के अधीन समय—समय पर यथा विनिश्चित की जावेगी।

63.11 परीक्षा योजना :

जब तक अन्य प्रावधान न हो विश्वविद्यालय के परीक्षा अध्यादेश कमांक 2 के अनुसार ।

63.12 पाठ्यकम संरचनाः

पाठ्यकम संरचना आई.एस.बी.एम. विश्वविद्यालय अध्ययन मंडल द्वारा निर्मित एवं अकादमिक परिषद् द्वारा अनुमोदित

63.13 सामान्यः

आई.एस.बी.एम. वि.वि. के विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति, परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होंगे।

किसी विवाद की दशा में मामलो का विनिश्चय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।

अटल नगर, दिनांक 30 मई 2020

क्रमांक एफ 3-6/2017/38-2. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 30-05-2020 का अंग्रेजी अनुवाद छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अलरमेलमंगई डी., सचिव.

Atal Nagar, the 30th May 2020

NOTIFICATION

No. F 3-6/2017/38-2. — Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission, Raipur vide its Letter No. 836/PU/S&O/2017/11580, Dated 23-01-2020 has approved the amendments in the Subsequent Ordinances No. 59 to 63 of ISBM University, Village-Nawapara (Kosmi), Block & Tehsil-Chhura, District-Gariyaband Under Section 29 (2) of Chhattisgarh Private Universities (Establishment & Operation) Act, 2005.

- 2. The State Government hereby gives its approval for notification of these Statutes and Ordinances in Official Gazette.
- 3. The above Statutes and Ordinances shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh, ALARMELMANGAI D., Special Secretary.

SUBSEQUENT ORDINANCES OF ISBM UNIVERSITY

S. No. Number/Matter Existing Provision			Proposed Amendment	Reason for Change		
1	Ordinance - 59	No Provision	Diploma in Pharmacy (D.Pharm.)	New course to be added		
2	Ordinance - 60	No Provision	Bachelor of Pharmacy (B.Pharm.)	New course to be added		
3	Ordinance - 61	No Provision	Master of Pharmacy (M.Pharm.)	New course to be added		
4	Ordinance - 62	No Provision	Bachelor of Science in Nursing (B.Sc. Nursing)	New course to be added		
5	Ordinance - 63	No Provision	Bachelor of Hotel Management and Catering Technology (BHMCT)	New course to be added		

ORDINANCE - 59

Diploma in Pharmacy (D.Pharm.)

59.1	Introduction		This Ordinance shall be known as ISBM University Ordinance for Diploma in Pharmacy abbreviated as D.Pharm.
59.2	Title	:	Diploma in Pharmacy (D.Pharm.)
59.3	Faculty	:	Paramedical Faculty
59.4	Duration		Two years (four semesters) + Practical Training of three months (min. 500 hrs). Maximum duration shall be four years to get the degree.
59.5	Eligibility		Must have passed 10+2 from the Chhattisgarh Board of Higher Secondary Education or from any recognized Board of Secondary Education with English as one of the subjects along with Physics, Chemistry, Mathematics (P.C.M) and/or Biology (P.C.B / P.C.M.B.) as optional subjects.
59.6	Seats		The basic unit will be of 60 seats as per permission from Pharmacy Council of India (PCI). Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management of ISBM University with due approval of Pharmacy Council of India (PCI).
59.7	Admission Procedure		As specified in Ordinance 1. Admission shall be granted on the basis of Merit of 10+2 Exam / Entrance examination conducted by ISBM University. Reservation policy of the Chhattisgarh State Government shall be adhered to. Provisions of Guidelines for admission issued by the Higher Education Department of Chhattisgarh Government will be followed.
	Academic Year	:	The academic session shall normally be from July to June every year. One academic cycle shall be from July to December and another from January to June every year.
59.9	Selection Procedure		The University shall issue admission notification in news papers, on the notice board of the University, University website and in other publicity media before the start of every session. The list of candidates selected for admission will be displayed on the website or the students shall be informed directly about their admission. Such list shall also be

displayed on the University's Notice Board. The candidates

session. The list of candidates selected for admission will be displayed on the website or the students shall be informed directly about their admission. Such list shall also be displayed on the University's Notice Board. The candidates which result awaited can also apply. Such candidates however must produce the Mark sheets or Degree certificates, as a proof for required eligibility criteria before the cutoff date failing which, the provisional admission so granted shall be cancelled.

The admission may also be rejected due to any of the following reasons:--

- 1. The application form is incomplete in anyway.
- 2. The course fee is not paid by the due date.
- 3. The supporting documents required for admission are not enclosed.
- 4. Wrong information is provided in the application form

Registration number will be assigned to each student by the University after verification and submission of all the necessary documents & the required fee.

60.10 Fees

The Course fee shall be as decided by the Board of Management of ISBM University with due approval from Chhattisgarh Private University Regulatory Commission, Raipur from time to time.

60.11 Examination Scheme:

As per the University Examination Ordinance 2, unless provided otherwise.

60.12 Course Structure :

The Course Structure shall be as framed by the respective Board of Studies and approved by the Academic Council of ISBM University.

60.13 General

On the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system/pattern of Examination, after making necessary amendments in the Ordinance.

which result awaited can also apply. Such candidates however must produce the Mark sheets or Degree certificates, as a proof for required eligibility criteria before the cutoff date, failing which, the provisional admission so granted shall be cancelled.

The admission may also be rejected due to any of the following reasons:--

- 1. The application form is incomplete in anyway.
- 2. The course fee is not paid by the due date.
- 3. The supporting documents required for admission are not enclosed.
- 4. Wrong information is provided in the application form.

Registration number will be assigned to each student by the University after verification and submission of all the necessary documents & the required fee.

59.10 Fees

The Course fee shall be as decided by the Board of Management of ISBM University with due approval from Chhattisgarh Private University Regulatory Commission, Raipur from time to time.

59.11 Examination Scheme:

As per the University Examination Ordinance 2, unless provided otherwise.

59.12 Course Structure

The Course Structure shall be as framed by the respective Board of Studies and approved by the Academic Council of ISBM University.

59.13 General

On the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system/pattern of Examination, after making necessary amendments in the Ordinance.

ORDINANCE – 60 Bachelor of Pharmacy (B.Pharm.)

60.1	Introduction		This Ordinance shall be known as ISBM University Ordinance for Bachelor of Pharmacy abbreviated as B.Pharm.
60.2	Title		Bachelor of Pharmacy (B.Pharm.)
60.3	Faculty	:	Paramedical Faculty
60.4	Duration		Duration of the B.Pharm. shall be Four years (eight semesters). Maximum duration shall be eight years to get the degree.
60.5	Eligibility		(1) Must have passed 10+2 from the Chhattisgarh Board of Higher Secondary Education or from any equivalent recognized Board of Secondary Education with English as one of the subjects along with Physics, Chemistry, Mathematics (P.C.M) and/or Biology (P.C.B / P.C.M.B.) as optional subjects.
			(2) Basis of admission: Lateral Entry to B. Pharm. II Year or third semester will be given to students who have passed D. Pharm. course from an institution approved by the Pharmacy Council of India under section 12 of the Pharmacy Act.
60.6	Seats	:	The basic unit will be of 60 seats as per permission from Pharmacy Council of India (PCI), multiples of this unit can also be set up by the Board of Management of ISBM University with due approval of PCI.
60.7	Admission Procedur	re:	As specified in Ordinance 1. Admission shall be granted on the basis of Merit of 10+2 Exam / Entrance examination conducted by ISBM University. Reservation policy of the Chhattisgarh State Government shall be adhered to. Provisions of Guidelines for admission issued by Higher Education Department of Chhattisgarh Government will be followed.
60.8	Academic Year	:	The academic session shall normally be from July to June every year. There shall be two academic cycles, one from July to December and another from January to June.
60.9	Selection Procedure :		The University shall issue admission notification in news

papers, on the notice board of the University, University website and in other publicity media before the start of every

session. The list of candidates selected for admission will be displayed on the website or the students shall be informed directly about their admission. Such list shall also be displayed on the University's Notice Board. The candidates which result awaited can also apply. Such candidates however must produce the Mark sheets or Degree certificates, as a proof for required eligibility criteria before the cutoff date failing which, the provisional admission so granted shall be cancelled.

The admission may also be rejected due to any of the following reasons:--

- 1. The application form is incomplete in anyway.
- 2. The course fee is not paid by the due date.
- 3. The supporting documents required for admission are not enclosed.
- 4. Wrong information is provided in the application form.

Registration number will be assigned to each student by the University after verification and submission of all the necessary documents & the required fee.

60.10 Fees

The Course fee shall be as decided by the Board of Management of ISBM University with due approval from Chhattisgarh Private University Regulatory Commission, Raipur from time to time.

60.11 Examination Scheme:

As per the University Examination Ordinance 2, unless provided otherwise.

60.12 Course Structure :

The Course Structure shall be as framed by the respective Board of Studies and approved by the Academic Council of ISBM University.

60.13 General

On the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system/pattern of Examination, after making necessary amendments in the Ordinance.

ORDINANCE – 61 Master of Pharmacy (M.Pharm.)

61.1	Introduction	1 10	This Ordinance shall be known as ISBM University Ordinance for Master of Pharmacy abbreviated as M.Pharm.
61.2	Title		Master of Pharmacy (M.Pharm.)
61.3	Faculty	: Nate	Paramedical Faculty
61.4	Duration		Duration for M.Pharm. shall be Two years (or four semesters). Maximum duration shall be four years to get the degree.
61.5	Eligibility		(i) Passed B. Pharm. from a University recognized by UGC / Institution approved by Pharmacy Council of India with minimum of 55% marks in aggregate.
			(ii) Should have obtained registration with the concern State Pharmacy Council or should obtain the same within one month from the date of his/her admission, failing which the admission of the candidate shall be cancelled. (As per PCI norms)
61.6	Seats		The basic unit will be of 60 seats or as per permission from Pharmacy Council of India (PCI). Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management of ISBM University with due permission from the PCI.
61.7	Admission Procedur	re :	As specified in Ordinance 1. Admission shall be granted on the basis of Merit of B.Pharm. / Entrance examination conducted by ISBM University. Reservation policy of the Chhattisgarh State Government shall be adhered to. Provisions of Guidelines for admission issued by Higher Education Department of Chhattisgarh Government will be followed.
61.8	Academic Year		The academic session shall normally be from July to June every year. There shall be two academic cycles, one from July to December and another from January to June.
61.9	Selection Procedure	ol josej su gen sellons Lie Jos	The University shall issue admission notification in news papers, on the notice board of the University, University website and in other publicity media before the start of every session. The list of candidates selected for admission shall be displayed on the website or the students may also be informed directly about their admission. The University shall

also display the selected candidates' list on its Notice Board. The candidates which result awaited can also apply. Such candidates however shall have to produce the Mark sheets or Degree certificates, as a proof for required eligibility criteria before the cutoff date, failing which, the provisional admission so granted shall be cancelled.

The admission may also be rejected due to any of the following reasons:--

- 1. The application form is incomplete in anyway.
- 2. The course fee is not paid by the due date.
- 3. The supporting documents required for admission are not enclosed.
- 4. Wrong information is provided in the application form.

Registration number will be assigned to each student by the University after verification and submission of all the necessary documents & the required fee.

61.10 Fees

The Course fee shall be as decided by the Board of Management of ISBM University with due approval from Chhattisgarh Private University Regulatory Commission, Raipur from time to time.

61.11 Examination Scheme :

As per the University Examination Ordinance 2, unless provided otherwise.

61.12 Course Structure

The Course Structure shall be as framed by the respective Board of Studies and approved by the Academic Council of ISBM University.

61.13 General

On the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system/pattern of Examination, after making necessary amendments in the Ordinance.

ORDINANCE - 62

Bachelor of Science in Nursing (B.Sc. Nursing)

62.1	Introduction	1	This Ordinance shall be known as ISBM University Ordinance for Bachelor of Science in Nursing abbreviated as B.Sc. Nursing.
62.2	Title		Bachelor of Science in Nursing (B.Sc. Nursing)
62.3	Faculty	:	Nursing Faculty
62.4	Duration	:	Duration of the B.Sc. Nursing shall be Four years (eight semesters). Maximum duration shall be eight years to get the degree.
62.5	Eligibility		(i) The minimum age for admission shall be 17 years as on 31 st December of the year in which admission is sought. (As per Indian Nursing Council norms)
			(ii) Minimum Qualification: Passed 10+2 exam with Science (PCB) & English as Core/Elective subject with aggregate of 45% marks from recognized board under AISSCE / CBSE / ICSE / SSCE / HSCE or any other equivalent Board.
			(iii) Student shall be medically fit.
			(iv) Students passed in 10+2 examination in Science (PCB) conducted by National Institute of Open School with 45% marks.
62.6	Seats		The basic unit will be of 60 seats or as per the permission from Indian Nursing Council. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management of ISBM University with due permission from the Regulatory Body.
62.7	Admission Procedure		As specified in Ordinance 1. Admission shall be granted on the basis of Merit of 10+2 Exam / Entrance examination conducted by ISBM University. Reservation policy of the Chhattisgarh State Government shall be adhered to. Provisions of Guidelines for admission issued by the Higher Education Department of Chhattisgarh Government will be followed.
62.8	Academic Year		The academic session shall normally be from July to June every year. There shall be two academic cycles, one from July to December and another from January to June every

year.

62.9 Selection Procedure

The University shall issue admission notification in news papers, on the notice board of the University, University website and in other publicity media before the start of every session. The list of candidates selected for admission shall be displayed on the website or the students may also be informed directly about their admission. The University shall also display the selected candidates' list on its Notice Board. The candidates which result awaited can also apply. Such candidates however shall have to produce the Mark sheets or Degree certificates, as a proof for required eligibility criteria before the cutoff date, failing which, the provisional admission so granted shall be cancelled.

The admission may also be rejected due to any of the following reasons:--

- 1. The application form is incomplete in anyway.
- 2. The course fee is not paid by the due date.
- 3. The supporting documents required for admission are not enclosed.
- 4. Wrong information is provided in the application form.

Registration number will be assigned to each student by the University after verification and submission of all the necessary documents & the required fee.

62.10 Fees

The Course fee shall be as decided by the Board of Management of ISBM University with due approval from Chhattisgarh Private University Regulatory Commission, Raipur from time to time.

62.11 Examination Scheme:

As per the University Examination Ordinance 2, unless provided otherwise.

62.12 Course Structure

The Course Structure shall be as framed by the respective Board of Studies and approved by the Academic Council of ISBM University.

62.13 General

On the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system/pattern of Examination, after making necessary amendments in the Ordinance.

ORDINANCE – 63 Bachelor of Hotel Management and Catering Technology (BHMCT)

63.1 Introduction : This Ordinance shall be known as ISBM University
Ordinance for Bachelor of Hotel Management and Catering
Technology abbreviated as BHMCT.

63.2 Title : Bachelor of Hotel Management and Catering Technology (BHMCT)

63.3 Faculty : Hotel Management and Hospitality Faculty

63.4 **Duration** : Duration shall be Four years (eight semesters). Maximum duration shall be eight years to get the degree.

63.5 Eligibility : Must have passed 10+2 from the Chhattisgarh Board of Higher Secondary Education or any Board of Secondary Education as equivalent thereto in any discipline.

63.6 Seats : The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management of ISBM University with due permission from the Regulatory Body.

63.7 Admission Procedure : As specified in Ordinance 1. Admission shall be granted on the basis of Merit of 10+2 Exam / Entrance examination

conducted by ISBM University. Reservation policy of the Chhattisgarh State Government shall be adhered to. Provisions of Guidelines for admission issued by the Higher Education Department of Chhattisgarh Government will be

followed.

63.8 Academic Year : The academic session shall normally be from July to June

every year. There shall be two academic cycles, one from July to December and another from January to June every

year.

63.9 Selection Procedure: The University shall issue admission notification in news

papers, on the notice board of the University, University website and in other publicity media before the start of every session. The list of candidates selected for admission shall be displayed on the website or the students may also be informed directly about their admission. The University shall also display the selected candidates' list on its Notice Board. The candidates which result awaited can also apply. Such candidates however shall have to produce the Mark sheets or Degree certificates, as a proof for required eligibility criteria

before the cutoff date, failing which, the provisional admission so granted shall be cancelled.

The admission may also be rejected due to any of the following reasons:--

- 1. The application form is incomplete in anyway.
- 2. The course fee is not paid by the due date.
- 3. The supporting documents required for admission are not enclosed.
- 4. Wrong information is provided in the application form.

Registration number will be assigned to each student by the University after verification and submission of all the necessary documents & the required fee.

63.10 Fees

The Course fees shall be as decided by the Board of Management of ISBM University with due approval from Chhattisgarh Private University Regulatory Commission, Raipur from time to time.

63.11 Examination Scheme

As per the University Examination Ordinance 2, unless provided otherwise.

63.12 Course Structure

The Course Structure shall be as framed by the respective Board of Studies and approved by the Academic Council of ISBM University.

63.13 General

On the recommendation of the Academic Council, the Vice-Chancellor shall be competent to change the system/pattern of Examination, after making necessary amendments in the Ordinance.